

राजस्थान सरकार  
कृषि निदेशालय, पंत कृषि भवन, जयपुर

क्रमांक : प.3( )लेखा/बजट/आ.भिन्न./आधिक्य बचत/2016-17/5744-5900 दिनांक : 29/12/16  
समस्त आहरण वितरण अधिकारी,  
कृषि विभाग,  
.....।

विषय : आयोजना भिन्न के बजट मदों में आधिक्य/बचत की सूचना भिजवाने बाबत।

राज्य सरकार को अनुपूरक मांगो (द्वितीय संकलन) की सूचना प्रेषित की जानी है। अतः वर्ष 2016-17 में आयोजना भिन्न मद के अन्तर्गत माह दिसम्बर, 2016 तक का वास्तविक व्यय व शेष अवधि 01.01.2017 से 31.03.2017 में होने वाले संभावित व्यय के अनुसार आधिक्य व्यय/बचत की सूचना बजट मदवार/लेखा शीर्षवार (जिन बजट मदों में आपको बजट आवंटन किया गया है) पूर्ण टिप्पणी के साथ 05 दिवस में सम्बन्धित खण्डीय संयुक्त निदेशक, कृषि कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करें।


कार्यालय का नाम ..... डी.डी.ओ. कोड .....  
IFMS Code ..... प्रपत्र तैयार करने वाले कार्मिक का नाम व पद .....  
Mob. No. ....

प्रत्येक बजट मद का अलग-अलग प्रस्तुत करें।

बजट शीर्ष	ऑब्जेक्ट हैड	कुल बजट आवंटन	31 दिसम्बर, 2016 तक वास्तविक व्यय	1 जनवरी, 2017 से 31 मार्च, 2017 तक संभावित व्यय	कुल व्यय	आधिक्य व्यय/ बचत	विशेष विवरण
	01 संवेतन व्यय						
	03 यात्रा व्यय						
	04 चिकित्सा व्यय						
	05 कार्यालय व्यय						
	07 कार्यालय वाहनों का संचालन एवं संधारण						
	09 किराया रेट और कर/रॉयल्टियाँ						
	मद संख्या : 06, 08, 11, 12, 18, 19, 20, 21, 22, 28, 29, 32, 46, 41, 62, 72						

यात्रा भत्ता व चिकित्सा भत्ता के लम्बित बिलों की सूची वर्ष 2013-14 एवं इससे पूर्व 2014-15 एवं 2015-16 की नाम एवं पदनाम बजट मद सहित बनाकर भिजवाये, ताकि गत वर्षों के लम्बित दायित्वों का निपटारा संभव हो सके।


नोट :- सूचना तैयार करने में किसी तरह की समस्या आने पर इस कार्यालय के सहायक लेखाधिकारी -II श्री लक्ष्मी नारायण पालीवाल, मोबाइल नम्बर - 9351369562 एवं श्री रोहिताश्व शर्मा, मोबाइल नम्बर - 9785370572 से सम्पर्क किया जा सकता है।

  
(घनश्याम शर्मा)  
वित्तीय सलाहकार, कृषि

क्रमांक : प.3( )लेखा/बजट/आ.भिन्न./आधिक्य बचत/2016-17/5744-5900 दिनांक : 29/12/16  
प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. समस्त संयुक्त निदेशक (कृषि), खण्डीय कार्यालयों को निर्देशित किया जाता है कि वे आपके अधीनस्थ समस्त कार्यालयों के आधिक्य-बचत पत्र प्राप्त कर/जांच कर अधोहस्ताक्षर कर्ता के कार्यालय में दिनांक 16.01.2017 तक विशेष वाहक द्वारा प्रेषित कराने का कष्ट करें।

2. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर (ACP) को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र को कृषि विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध करावें।

  
(घनश्याम शर्मा)  
वित्तीय सलाहकार, कृषि